

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 424/2025

गुरदास सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

-वादी

बनाम्

1. रोशनी पुत्री श्री जगदेव सिंह पत्नी श्री जगदीप सिंह जाति कुम्हार निवासी  
भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) हाल आबाद ढाणी  
नन्दराम तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
2. जगदेव सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
3. बलवन्त सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट  
प्रतिवादी सं. 1 तथा 3 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण  
मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1 ता  
3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का खाता  
दावा की दफा 5 के मुताबिक अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक  
राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग  
अलग कायम की जावे तथा चक 5 एच.आर.पी. के खाता सं. 216/22 खाता  
जगदेव सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 (जमाबन्दी 2078) में प्रतिवादी  
सं. 2 के नाम दर्ज कुल 0.797 है. आराजी में से 0.101 है., आराजी वादी

लगातार --2

महापद कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

गुरदास सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से 0.101 है. हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का कम किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 219/115 खाता बलवन्त सिंह में प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज कुल 0.553 है., आराजी में से 0.065 है. आराजी वादी गुरदास सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह के नाम तथा शेष 0.488 है. आराजी बदस्तूर प्रतिवादी सं. 3 बलवन्त सिंह पुत्र श्री छोद् सिंह के नाम दर्ज की जावे तथा इसी चक के खाता सं. 242/219 खाता जगदेव सिंह में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज कुल 0.368 है. आराजी में से 0.303 है. आराजी वादी सं. 1 गुरदास सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह के नाम तथा उक्त खाता की शेष 0.065 है. आराजी प्रतिवादी सं. 3 बलवन्त सिंह पुत्र श्री छोद् सिंह के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 2 जगदेव सिंह पुत्र श्री छोद् सिंह का नाम कलमजन किया जावे।  
वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किया जावे :-

(क) वादी गुरदास सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह का हिस्सा:-

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 216/22

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
178/109	7	18/2/0.101 है., <u>कुल 0.101 है.,</u>

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 242/219

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
178/109	7	18/3/0.050 है., 23/0.253 है. <u>कुल 0.303 है.,</u>

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 219/115

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
178/109	7	19/4/0.021 है.(कि.नं. 18 से चिपता हुआ), 22/0.044 है.(कि.नं. 23 से चिपता हुआ), <u>कुल 0.065 है.,</u>

(ख) प्रतिवादी सं. 3 बलवन्त सिंह पुत्र छोद् सिंह का हिस्सा:-

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 219/115

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
178/109	7	19/5/0.086 है., 20/4/0.066 है., 21/1/0.127 है., 22/1/0.209 है., <u>कुल 0.488 है.,</u>

घक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 242/219

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
178/109 7 19/3/0.044 है., 20/5/0.021 है.,  
कुल 0.065 है.,

निज .......... निल .......... मुब्लिक ..........निल .......... बाबत्  
..........निल.......... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना  
आज की तारीख वसूलयाबी तक ..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 7.8.2025  
जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संघारिया

